न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 08/2021 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. कचरू पिता मानजी कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. सूर्या पिता मानजी कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. विकास पिता मानजी कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती भुली बेवा मानजी कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. प्रभु पिता धुलिया कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. केला पिता धुलिया कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के विधिक वारिसान :–

6/1. श्रीमती नर्बदा पत्नी केला कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6/2. कालुराम पिता केला कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6/3. रमण पिता केला कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. मीरा पिता धुलिया कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. रावजी पिता धुलिया कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. ईश्वर पिता दला कटारा, जाति भील, निवासी मेन्दिया कटारा, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:17 IST
Reason: SelfAttested

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा दिनांक
24.08.2021 प्रकरण संख्या 82/2013

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री नरेन्द्रसिंह झुला अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

---::---

निर्णय दिनांक 30–09–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 8, 34, 44, 56, 62, 71, 88, 89, 104, 127/66 कुल किता 10 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि ग्राम मेन्दिया कटारा में स्थित है। उक्त आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का 1/2 हिस्सा निहित होकर मौके पर इसी अनुसार काबिज हैं। मूल पुरूष वेलजी होकर उनके दो पुत्र दला व धुलिया थे। दला का पुत्र वादी है तथा धुलिया के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात का विभाजन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात में वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त आरायिजात संयुक्त खाते की नहीं होकर मात्र प्रतिवादीगण मालिक काबिज हैं। नामान्तरकरण संख्या 115 अवैधानिक है, क्योंकि वेलजी के एक मात्र पुत्र वादी का पिता दला था तथा धुलिया वेलजी का पुत्र नहीं होकर हाला का पुत्र है। वादी ने गलत वंशावली प्रस्तुत की है। साथ ही काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात के एक मात्र मालिक काबिज प्रतिवादीगण हैं। इसलिए वादी दावा लाने का ही अधिकारी नहीं है। वादी का नाम गलत अंकत हो गया है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर विवादित आराजियात का प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को खातेदार घोषित किया जाकर वादी का नाम हटाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:17 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियां कायम की एवं उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24–08–2021 वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–09–2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह झुला उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है तथा अपीलान्टगण के काउण्टर क्लेम के खण्डन में वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण है। विवादित भूमि में वादी का कोई हक अधिकार निहित नहीं है, न ही उनका कभी कब्जा रहा है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा गलत वंशावली प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन में जो वंशावली प्रस्तुत की है, वह सही है, जिसका कोई खण्डन वादी द्वारा नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा आदेश 06 नियम 17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो वंशावली से ही संबंधित था, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत सजरे को सही मानते हुए वादी का विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा मानते हुए विभाजन की डिक्री जारी कर दी है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रतिवादी/अपीलान्टगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर उन्हें विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत वंशावली का विवेचन करते हुए प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप ही निर्णय पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:17 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 4 तनकियां कायम की गयी किन्तु तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है, जो आदेश 14 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्षों द्वारा अलग–अलग वंशावली प्रस्तुत की गयी है एवं वादी द्वारा आदेश 06 नियम 17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जो वंशावली से ही संबंधित था, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है तथा वंशावली के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से जो बयान हुए हैं, उनमें भी काफी विरोधाभाष है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वंशावली को सही मानते हुए वादी/रेस्पोन्डेन्ट का विभाजन का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी, जो उचित नहीं है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि प्रकरण में अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा जो काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 24–08–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के दृष्टिगत पक्षकारों को पुनः सुनकर तनकीवार नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25–11–2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30–09–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:09:17 IST
Reason: SelfAttested